रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012020-215774
CG-DL-E-29012020-215774

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941
No. 382] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

का.आ. 414(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 110 (अ) तारीख 27.12.2017 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 09.01.2018 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर–हल्दिया एवं बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर – हलदिया एण्ड बोकारो – धामरा पाइपलाइन प्रोजेकट

डोभी हलदिया अनुभाग

भूमि अनुसूची

राज्य – पश्चिम बंगाल

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	नक्शा	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर–आर–वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7		
बंकुरा	बरजोरा	किष्णा नगर	52	आर एस	2260	0	03	56
					2261	0	04	49
					2262	0	06	81
					2263	0	01	04
					2264	0	01	62
					2265	0	03	24
					2266	0	00	58
					2267	0	04	70
					2253	0	01	52
					2252	0	04	76
					2251	0	02	11
					2250	0	01	62
					2249	0	03	16
					2248	0	01	21
					2247	0	02	34
					2246	0	00	10
					2271	0	01	02
					2235	0	01	13
					2236	0	07	91
					2237	0	03	03
					2238	0	00	26
					2241	0	00	82
					2214	0	04	31
					2213	0	00	59
					2212	0	00	26
बंकुरा	बरजोरा	पुराकोंडा	55	एल आर	602	0	06	31
					601	0	03	88
					608	0	00	27

[फा. सं. एल-14014/106/2017-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

S.O. 414(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 110 (E) dated 27.12.2017 issued under sub- section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 09.01.2018, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGDISHPUR-HALDIA AND BOKARO-DHAMRA PIPELINE PROJECT

DOBHI - HALDIA SECTION

LAND SCHEDULE

State : West Bengal

District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Bankura	Barjora	Krishna Nagar	52	RS	2260	0	03	56
					2261	0	04	49
					2262	0	06	81
					2263	0	01	04
					2264	0	01	62
					2265	0	03	24
					2266	0	00	58
					2267	0	04	70
					2253	0	01	52
					2252	0	04	76
					2251	0	02	11
					2250	0	01	62

					2249	0	03	16
					2248	0	01	21
					2247	0	02	34
					2246	0	00	10
					2271	0	01	02
					2235	0	01	13
					2236	0	07	91
					2237	0	03	03
					2238	0	00	26
					2241	0	00	82
					2214	0	04	31
					2213	0	00	59
					2212	0	00	26
Bankura	**Barjora**	**Purakonda**	**55**	**LR**	602	0	06	31
					601	0	03	88
					608	0	00	27

[F.No. L-14014/106/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.29 22:49:39 +05'30'